

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, हल्द्वानी।



तिकोनिया वन परिसर, हल्द्वानी (नैनीताल) दूरभाष / फैक्स : 05946—220002, ई.मेल :dfohld@gmail.com

पत्रांक २९५७ / १२- । हल्द्वानी, दिनांक २९ / ७ / २०२४

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तरखण्ड, देहरादून।

विषय :--

जनपद चम्पावत में सशस्त्र सीमा बल की चौकी (थपलियाल खेड़ा) के निर्माण हेतु 0.99 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु सशस्त्र सीमा बल को प्रत्यावर्तन (आन लाईन प्रस्ताव सं0— FP/UK/OTHERS/148721/2021)

सन्दर्भः– महोदय, आपका पत्रांक 2315/12-1 दिनांक 10-05-2024 l

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के द्वारा उठाई गयी आपित्तयों का निराकरण कर प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपने पत्र संख्या— थपिलयालखेड़ा/पायोनियर/57/वाहिनी/सी०सु०ब०/24/8265 दिनांक 19.06.2024 द्वारा अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित किया है। प्रस्तुत अख्या का अवलोकन कर प्रभाग स्तर से प्रकरण में उठाई गयी आपित्तयों का निराकरण कर संकलित सूचना निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0		उत्तर
1	FRA certificate is not submitted in proper format. It is requested to submit the FRA certificate in the prescribed format.	बिन्दु संख्या 01 के में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत सूचना उपलब्ध कराई गई है। पत्र की प्रति संलग्न है।
2		प्रभाग स्तर से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जो योजना प्रस्तुत की गई उसके अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु रू० 5,64,014 की मांग प्रस्तुत की गई थी परन्तु भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून द्वारा सेद्धान्तिक स्वीकृति। बिन्दु सं० 3 (क) के अनुसार (@ CA ratator 1.98 ha. Area) जमा की जायेगी। @ CA की दरों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023—24 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु निर्धारित दर रू० 4,48,791.00 के अनुसार 1.98 है० क्षेत्र से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु कि क्षेत्र से क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु का अनुसार अंकलित होता है उसी के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी से रू० 8,88,606.00 रू० मात्र की क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु मांग की गई थी। जिसके क्रम में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा धनराशि कैम्पा मद में जमा कराई गई है।

3	The details of CA as well as diversion area shall be uploaded on e-green Watch portal.	प्रकरण में विधिवत स्वीकृति प्राप्त होते हैं क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल का मानचित्र ई—ग्रीन वॉच पोर्टल में अपलोड कर दिया जायेगा।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में अनुपालन आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। संलग्नः— उरोक्तानुसार।

भवदीय,

(रमेश चन्द्र काण्डपाल) प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, इल्द्वानी

पत्रांक 2957/ जक्तदिनांकित।

वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराण्ड, हल्द्वानी को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रतिलिपि:-प्रेषित।

कमाडेंट, 57 वाहिनी सशस्त्र सीमा बल, थपलियाल खेड़ा, टनकपुर को आपके पत्रांक-प्रतिलिपिः-थपलियाल खेड़ा /पायोनियर /57 वाहिनी / स०सी०बल/ 24-205 दिनांक 03-01-2024 पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

> (रमेश चन्द्र काण्डपाल) प्रभागीय वनाधिकारी, हल्द्वानी वन प्रभाग, इल्द्वानी

Government of India (MHA) भारत सरकार, गृह मंत्रालय Sashastra Seema Bal

सशस्त्र सीमा बल Office of the Commandant, 57 Bn SSB, Sitarganj

Distt.- U.S. Nagar, (UK) 262405 काथलिय कमांडेंट 57 वाहिनी स.सी.ब. सितारगंज उधम सिंह नगर उत्तराखंड- 262405

पत्रोक संख्या.-थपलियालखेड्ग/पायोनियर/57/वाहिनी/स.सी.ब./24/- ४२६५ प्रेषक :-

दिनांक...19/06/09

कमांडेंट, 57 वाहिनी स० सी० बल सितारगंज, उत्तराखंड

प्रेषित:-

श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी . हल्द्वानी वन प्रभाग. हल्द्वानी,(उत्तराखंड)। Email:-dfohld@gmail.com

विषयः- सशस्त्र सीमा बल की सीमा चौकी थपलियाल खेड़ा की स्थापना हेतु 0.99 हे॰ वन भूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध मे।

महोदय.

आपके विभाग (कार्यालय- प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखंड, देहरादून) के पत्रांक संख्या -2315/ 12-1 दिनांक -10.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिनमें पर्यावरण, वन एवं जलवाय परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने पत्रांक संख्या -8बी/यू.सी.पी./09/66/2022/एफ.सी., दिनांक- 26.04.2024 के माध्यम से स.सी. बल के सीमा चौकी थपलियालखेड़ा की स्थापना के प्रस्ताव में 03 बिन्दुओं में पाई गई त्रुटियाँ का निराकरण कर आवश्यक सुचना प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया है।

इसी क्रम में अवगत कराना है की इन 03 बिन्दुओं में से क्रम संख्या 02 एवं 03 का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से किया जाना है एवं क्रम संख्या 01 का निराकरण प्रयोक्ता एजेंसी स.सी.बल द्वारा किया जाना था, इस सन्दर्भ में मांगे गये दस्तावेज (FRA Certificate- Enclosed) 57वीं वाहिनी द्वारा आपके समक्ष प्रस्तुत किये जा रहे है ।

अतः महोदय से अनुरोध है की इन बिन्दुओं का शीघातिशीघ्र निराकरण कर सीमा चौकी थपलियालखेड़ा की वन भूमि को सशस्त्र सीमा बल के नाम हस्तांतरण कराने कि कृपा करें। इस हेतु आपका सहयोग वाछनीय होगा।

धन्यवाद।

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector

No- 354/7000/FRA/2024-25

Dated-14-01.2024

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.99 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

4-4140

FORM-II

(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector- Champawat

No-355/ HOTO/FRA/2024-25

Dated-14-06-2024

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 0.99 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of SSB (name of user agency) for BOP Establishment (purpose for diversion of forest land) in Champawat district falls within jurisdiction of Sailonigoth village (s) in Tanakpur Tehsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.99 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ... to ...annexure....
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concered Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the garm sabha of sailonigoth villages(s) is enclosed as annexure..... to annexure......
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken pace only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) The rights of Primitve Tribal Groups and Pre-Agricultural communites, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.

Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

प्रारुप-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER

DISTRICT- CHAMPAWAT (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of CHAMPAWAT district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. NAVILLE. Land.....I.A.S deputy commissioner CHAMPAWAT on dated with time of the construction of BOP on forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Tanakpur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place- CHAMPAWAT

Dated: 14-06-2024

Deputy Commissioner-cum-Chairman

District Level Committe

@20.14g